तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28-8-2019	**एकल–पीठ** **श्री पंकज नरूका, सदस्य** **उपस्थितः** श्री रामसुख चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी। श्री शोकिन्दलाल गुर्जर, उप राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–3 राजस्थान सरकार की ओर । ———— **आदेश** यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा द्वारा वाद संख्या संख्या 126 / 2004 में पारित आदेश दिनांक 19–5–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 2– निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बावजूद तामील नोटिस उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। 3– निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता की बहस निगरानी याचिका पर सुनी गई। 4– निगरानीकर्ता की ओर से याचिका के तथ्यों को दोहराते हुए बहस की गई है कि अप्रार्थी संख्या–1 ने प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या–2 व 3 के विरूद्ध विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नोखा के न्यायालय में खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया था, जो दर्ज रजिस्टर हुआ। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 06–01–2005 को प्रार्थी / प्रतिवादी संख्या–1 की ओर से अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। पत्रावली वास्ते जवाबदावा दिनांक 23–02–2005 व 23–03–2005 को नियत हुआ जिस पर प्रतिवादी ने समय चाहा। इसके पश्चात् दिनांक 20–4–2005 को उपखण्ड अधिकारी महोदय शिविर कार्य में व्यस्त थे, इस पर जवाबदावा हेतु पत्रावली दिनांक 19–5–2005 को नियत की गई। उसी दिनांक को प्रार्थी ने जवाबदावा प्रस्तुत कर दिया किन्तु वादी के प्रार्थना पत्र पर 90 दिवस के भीतर जवाबदावा प्रस्तुत नहीं होने से जवाबदावा को अभिलेख पर नहीं लिया गया, उक्त आदेश	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दिनांक 19–5–2005 विधि के सिद्धान्तों के विपरीत है। वादी के प्रार्थना पत्र की प्रति भी प्रतिवादी को उपलब्ध नहीं कराई गई और प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी / प्रतिवादी को बिना सुने ही आदेश पारित किया गया है और न्यायालय ने अपने निहित क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया है। इस आदेश को निरस्त फरमाया जाकर जवाबदावा को रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश पारित किये जावें। 5– विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता द्वारा निगरानी याचिका का औपचारिक विरोध दर्ज कराते हुए बहस की गई है कि आलोच्य आदेश विधिसम्मत है, 90 दिवस की अवधि समाप्त होने के उपरांत जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है। अतः निगरानी याचिका को खारिज किया जावे। 6– उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। 7– अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट हुआ है कि प्रार्थी / प्रतिवादी संख्या–1 पर वाद के सम्मन की तामील दिनांक 21–12–2004 को हुई है जिसके अनुसार 90 दिवस की अवधि दिनांक 20–03–05 को समाप्त हो रही थी किन्तु स्वयं अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 23–03–05 को जवाबदावा हेतु समय देते हुए पत्रावली दिनांक 20–4–05 को नियत की और तत्पश्चात् दिनांक 20–4–05 शिविर कार्य में व्यस्त रहने से जवाबदावा हेतु पत्रावली को दिनांक 19–5–05 को नियत किया गया था और जिस दिवस जवाबदावा प्रतिवादी संख्या–1 की ओर से प्रस्तुत कर दिया गया। किन्तु न्यायालय द्वारा वादी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जवाबदावा के हक को बन्द कर दिया गया है, जो कि इस न्यायालय के विनम्र मत में विधि के स्थापित सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं है। विधि इस संबंध में स्पष्ट है कि जवाबदावा प्रस्तुत करने की 90 दिवस की अवधि पूर्णतः बाध्यकारी नहीं है, प्रक्रिया विधि का उद्देश्य, न्याय प्राप्ति में सहायक होना है, न कि बाधा बनना। चूंकि हस्तगत् प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली जवाबदावा हेतु ही नियत की गई थी और 90 दिवस के अवसान पश्चात मात्र दो माह में ही जवाबदावा प्रस्तुत कर दिया गया है। इस समस्त तथ्यों को देखते हुए आलोच्य आदेश विधि व तथ्यों के विपरीत होने से सही ठहराया जाने योग्य नहीं रह जाता है। 8– परिणामतः निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नोखा द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–5–2005 निगरानीकर्ता / प्रतिवादी संख्या–1 की हद तक अपास्त किया जाता है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नोखा को निर्देशित	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किया जाता है कि उनके समक्ष निगरानीकर्ता / प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा वादी को 2000 / – (अक्षरे दो हजार रूपये मात्र) हर्जे की राशि अदा किये जाने पर जवाबदावा अभिलेख पर लिया जाकर प्रकरण को विधिनुसार प्रक्रिया पूर्ण कर निस्तारित किया जावे। 9– इस आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(पंकज नरूका)** **सदस्य**	